न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमति शकुन्तला चौधरी आरएएस

मु0न0 : 26/2020 (2020/00362)

रामकुमार पुत्र पृथ्वीसिंह जाति जाट निवासी ढाणी 2 एएमएस बिराण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– प्रार्थी

बनाम

1. प्रेमदेवी पत्नी पवन कुमार जाति जाट निवासी 2 एएमएस बिराण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. मंजू देवी पत्नी सुरेश कुमार जाति जाट निवासी 2 एएमएस बिराण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. सुमन देवी पत्नी संदीप कुमार जाति जाट निवासी बिराण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. श्रीराम पुत्र दलीपसिंह जाति जाट निवासी 2 एएमएस हाल आबाद दडौली तहसील मण्डी आदमपुर जिला हिसार (हरियाणा)
5. पूर्ण पुत्र घड़सीराम जाति जाट निवासी 2 एएमएस बिराण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
6. कर्णसिंह पुत्र घड़सीराम जाति जाट निवासी 2 एएमएस बिराण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
7. लखपति पत्नी कृष्ण जाति जाट निवासी 2 एएमएस बिराण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
8. मंदीप पुत्र कृष्ण जाति जाट निवासी 2 एएमएस बिराण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
9. पूजा पुत्री कृष्ण जाति जाट निवासी 2 एएमएस बिराण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
10. वंदना पुत्री कृष्ण जाति जाट निवासी 2 एएमएस बिराण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
11. विद्यादेवी पत्नी वेदप्रकाश जाति जाट निवासी 2 एएमएस बिराण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
12. संजूबाला पुत्री वेदप्रकाश जाति जाट निवासी 2 एएमएस बिराण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
13. विनोद कुमार पुत्र वेदप्रकाश जाति जाट निवासी 2 एएमएस बिराण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
14. संदीप कुमार पुत्र वेदप्रकाश जाति जाट निवासी 2 एएमएस बिराण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
15. भारतीय स्टेट बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा छानीबडी।
16. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

– अप्रार्थीगण

अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 8(2) राजस्थान जनरल कॉलोनाइजेशन कण्डीशन एक्ट

उपस्थिति : वकील श्री पवन सिहाग : **प्रार्थी**

वकील श्री रोहिताश शर्मा : **अप्रार्थी सं0 1, 4 ता 11, 13**

निर्णय दिनांक : 27/8/21

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि चक 2 एएमएस के खाता सं0 54/56 के मुरबा नं0 11 के किला नं0 5 की 0.253 है0, गै0मु0 खाला 0.025 है0, किला नं0 6 की 0.253 है0, गै0मु0 खाला 0.025 है0, किला नं0 7 की 0.253 है0, किला नं0 8/2 की 0.126 है0, किला नं0 13, 14 प्रत्येक की 0.253 है0, किला नं0 15 की 0.253 है0, गै0मु0 खाला 0.025

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

है0, किला नं0 16 की 0.253 है0, गै0मु0 खाला 0.025 है0, किला नं0 17, 19, 21, 22 प्रत्येक किला की 0.253 है0 कुल 2.9090 है0 जिसमें से गै0मु0 खाला 0.1000 संयुक्त कृषि भूमि में से प्रार्थी का 1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

चक 2 एएमएस के खाता सं0 128/124 के मुरबा सं0 19 के किला नं0 4/2 की 0.064 है0, किला नं0 5/2 की 0.064 है0, गै0मु0 खाला 0.025 है0, किला नं0 6 की 0.253 है0, गै0मु0 खाला 0.025 है0, किला नं0 7 की 0.253 है0, किला नं0 14 की 0.253 है, कुल 1.140 है0, गै0मु0 खाला 0.050 है0, खातेदारी कृषि भूमि अप्रार्थी सं0 1 ता 3 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा इसी चक खाता सं0 128/124 के किला नं0 4/1 की 0.189, किला नं0 5/1 की 0.189 है0 कुल 0.378 है0, प्रार्थी स्वयं के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा खाता सं0 128/124 के ही मु0नं0 14 के किला नं0 24 की 0.253 है0, किला नं0 25 की 0.253 है0, खाला 0.025 है0, कुल 0.506 है0, खाला 0.025 है0 प्रतिवादी सं0 4 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

चक 2 एएमएस के खाता सं0 51/53 के मु0नं0 14 के किला नं0 1, 2, 9 ता 13, 18 ता 23 प्रत्येक किला की 0.253 है0 कुल 3.2890 है0 कृषि भूमि अप्रार्थी सं0 5 व 6, अप्रार्थी सं0 7 के पति व अप्रार्थी सं0 8 ता 10 के पिता के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

चक 2 एएमएस के खाता सं0 123/43 के मुरबा नं0 37 के किला नं0 19/1 की 0.2020 गै0मु0 रास्ता 0.025 है0, किला नं0 22/1 की 0.0510 है0, किला नं0 23 की 0.253 है0, गै0मु0 रास्ता 0.013 है0, किला नं0 24 की 0.253 है0, गै0मु0 रास्ता 0.130 है0 किला नं0 25 की 0.253 है0, गै0मु0 रास्ता 0.013 है0, कुल 1.012 है0 गै0मु0 रास्ता 0.064 है0 कृषि भूमि तथा इसी चक के खाता सं0 124/119 के मु0नं0 1 के किला नं0 24 की 0.253 है0, किला नं0 25 की 0.253 है0, गै0मु0 खाला 0.025 है0, मु0नं0 12 के किला नं0 21, 22 प्रत्येक की 0.253 है0, मु0नं0 13 के किला नं0 1, 2 प्रत्येक की 0.253 है0, किला नं0 3 की 0.253 है0 गै0मु0 रास्ता 0.013 है0, किला नं0 8 की 0.253 है0 गै0मु0 रास्ता 0.013 है0, किला नं0 9 ता 12 प्रत्येक की 0.253 है0, किला नं0 13 की 0.253 है0 गै0मु0 रास्ता 0.013 है0, किला नं0 18 की 0.253 है0 गै0मु0 रास्ता 0.013 है0, किला नं0 19 व 20 की 0.253 है0, मु0नं0 14 के किला नं0 3, 4 प्रत्येक की 0.253 है0, किला नं0 5 की 0.253 है0, गै0मु0 खाला 0.025 है0, किला नं0 6 की 0.253 है0, गै0मु0 खाला 0.025 है0, किला नं0 7, 8 की प्रत्येक की 0.253 है0, किला नं0 14 की 0.253 है0, किला नं0 15 की 0.253 है0, गै0मु0 खाला 0.025 है0, किला नं0 16 की 0.253 है0, गै0मु0 खाला 0.025 है0, किला नं0 17 की 0.253 है0, कुल क्षेत्रफल 6.5780 है0, गै0 मु0 रास्ता 0.052 है0, गै0 मु0 खाला 0.125 है0, खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी सं0 11 के पति व अप्रार्थी सं0 12 ता 14 के पिता के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रार्थी के चक 2 एएमएस में 2 खेत है। चूंकि प्रार्थी का चक 2 एएमएस के खाता सं0 128/124 के मु0नं0 19 के अपने खेत में से खाता सं0 54/56 के मु0नं0 11 के खेत में करीब 50 वर्षो से ऊंट गाडा ट्रेक्टर ट्राली आदि से आवागमन रहता है। इसलिए प्रार्थी को मुरबा नं0 19 के किला नं0 14 की पश्चिम दिशा में उतर से दक्षिण, किला नं0 7 की पश्चिम दिशा में उतर से दक्षिण, सवा आठ फीट चौड़ा रास्ता व किला नं0 4 की 15 बिस्वा हिस्सा भूमि प्रार्थी स्वयं के नाम व 5 बिस्वा हिस्सा भूमि अप्रार्थी सं0 1 ता 3 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में से सवा आठ फीट चौड़ा पश्चिम दिशा में उतर से दक्षिण तक सवा आठ फीट चौड़ा रास्ता इसी मुरबा के किला नं0 23 में होकर मु0नं0 14 के किला नं0 18 की पूर्वी दिशा में उतर से दक्षिण, किला नं0 13 के पूर्वी दिशा में उतर से दक्षिण इसी किला यानि किला नं0 13 के उतर दिशा में पूर्व से पश्चिम सवा आठ–आठ फीट चौडाई में रास्ता किला नं0 8 के पश्चिम दिशा में उतर से दक्षिण व किला नं0 3 के पश्चिम दिशा में उतर से दक्षिण सवा आठ फीट चौड़ा रास्ता करीब 50 वर्षो से चालू है। जिस पर प्रार्थी व अन्य काश्तकार लोग आवागमन करते आ रहे है और उक्त चालू रास्ता से प्रार्थी अपनी ऊंट–गाड़ी, ट्रैक्टर आदि लाते ले जाते रहते है। उपरोक्त रास्ता का प्रार्थी निरन्तर उपयोग उपभोग करता आ रहा है।

प्रार्थी को अपने दोनों खेतों में आवागमन के लिए कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी के लिए उक्त रास्ता सरल, सुगम व सुविधाजनक है। प्रार्थी उपर वर्णित रास्ता को उपयोग उपभोग

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

में लेता चला आ रहा है। इसलिए प्रार्थी उपर वर्णित रास्ता को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवापाने का कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामिल होने के उपरान्त प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 7 ता 10 व 13 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। अप्रार्थी सं0 1, 4, 5, 6, 11, 12, 14 ने इकबालदावे पेश किये। अप्रार्थी सं0 2 व 3 ने प्रार्थना पत्र की सभी मदों को स्वीकार करते हुए जबाब दावे पेश किये। अप्रार्थी सं0 16 पेरोकार राज ने जबाबदावा पेश किया। अप्रार्थी सं0 15 को तर्क किया गया।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि हम पक्षकारान प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 7 ता 10 व 13 का आपसी सहमति से राजीनामा हो चुका है तथा अप्रार्थी सं0 1 ता 6, 11, 12, 14 भी मुताबिक अनुतोष रास्ता स्वीकृत किये जाने पर सहमत है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में रास्ता स्वीकृत किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने अप्रार्थीगण की खातेदारी चक 2 एएमएस के खाता सं0 128/124, 128/24, 51/53, 123/43 में से होते हुए अपने खातेदारी में आवागमन के लिए रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु पेश किया है। प्रार्थी एंव अप्रार्थी सं0 7 ता 10 व 13 ने आपसी सहमति से रास्ता बाबत राजीनामा कर लिया है। अन्य पक्षकारान ने भी प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन न करते हुए प्रार्थना पत्र की सभी मदों को अपने द्वारा प्रस्तुत इकबालदावों एवं जबाबदावों में स्वीकार किया है। प्रार्थी की खातेदारी आराजी में प्रवेश करते हेतु अन्य कोई निकटतम दूरी का सुविधाजनक रास्ता नहीं है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अत : प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 8(2) राजस्थान जनरल कॉलोनाईजेशन कण्डीशन एक्ट का स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थी के स्वयं के चक 2 एएमएस के खाता सं0 128/124 के मु0नं0 19 के किला नं0 4/1 की 0.189 है0 कृषि भूमि में से 0.00975 है0 व अप्रार्थी सं0 1 ता 3 के किला नं0 4/2 की 0.064 है0 कृषि भूमि में से 0.00325 है0 किला के पश्चिमी तरफ किला लाईन के पास – पास एवं मु0नं0 19 के किला नं0 7 व 14 प्रत्येक किला में किला के पश्चिमी तरफ किला लाइन के पास – पास उतर से दक्षिण 0.013 है0 भूमि व चक 2 एएमएस के खाता सं0 128/24 के मु0नं0 14 के किला नं0 24 में किला के पश्चिम तरफ किला लाइन के पास – पास उतर से दक्षिण 0.013 है0 भूमि एवं चक 2 एएमएस के खाता सं0 51/53 के मु0नं0 14 के किला नं0 13 में किला के उतरी व पूर्वी तरफ किला लाइन के पास पास पूर्व से पश्चिम व उतर से दक्षिण 0.026 है0 व किला 18 में किला के पूर्वी तरफ किला लाइन के पास पास 0.013, किला नं0 23 में किला के दक्षिणी–पश्चिमी कोना में 0.00065 है0, चक 2 एएमएस के खाता सं0 123/43 के मु0नं0 14 के किला नं0 3 व 8 में किला के पश्चिमी तरफ किला लाइन के पास पास उतर से दक्षिण प्रत्येक किला में 0.013 है0 भूमि रास्ता के लिए स्वीकृत की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता का अंकन किया जावे। तहसीलदार राजस्व भादरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27/8/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

नोट:- निर्णय के पेज सं. 3 की पंक्ति सं. 21 मे अप्रार्थी सं. 4, पंक्ति सं. 31 मे अप्रार्थी सं. 5 ता 10 एव पंक्ति सं 34 मे अप्रार्थी संख्या 11 ता 14 पढा जावे। शेष निर्णय यथावत रहेगा।

22/10/21 किला न 23 मे दक्षि0-पश्चिमी कोना के स्थान पर उत्तरी-पूर्वी कोना पढा जावे।

(शकुन्तला R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)